



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224261
CG-DL-E-07012021-224261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

का.आ. 61(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘ई’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस [30] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन ‘ई’ की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमाएँ
योजना जोन-‘ई’ के अंतर्गत आने वाली त्रिलोकपुरी संजय झील	88193.03 वर्ग मीटर	व्यावसायिक	आवासीय	उत्तर: जोन ‘ई’ की क्षे.वि.यो. के अनुसार विद्युत सब स्टेशन दक्षिण: इंदिरा गांधी महिला

स्थित स्थल				पार्क पूर्व: जोन 'ई' की क्षे.वि.यो. के अनुसार 30 मी. मार्गाधिकार वाली सड़क पश्चिम: संजय झील
------------	--	--	--	---

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. 20(9)/2016-एमपी]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

S.O. 61(E).—The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021 / Zonal Development Plan of Zone 'E' under Section 11A of DD Act 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **thirty (30) days** from the date of publication of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modifications

Location	Area	Existing Land Use as per MPD 2021 / ZDP of Zone 'E'	Proposed Land Use	Boundary of the Site / Area
Site at Trilokpuri, SanjayLake falling in Planning Zone- 'E'	88,193.03 Sqm	Commercial	Residential	North: Electric Sub Station as per ZDP of Zone E South: Indira Gandhi Mahila Park East: 30m RoW Road as per ZDP of Zone E West: Sanjay Lake

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Dy. Dir. (MP), DDA, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[F. 20(9)/2016-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.